निगरानी / एलआर / 3411/ 2005/ जिला श्रीगंगानगर
लक्ष्मणदास बनाम हरिदेवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
10.9.2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री राकेश अरोडा, अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 सपठित धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार घडसाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अप्रार्थी सं.2 व 3 तरतीबी पक्षकार होने से उनकी तलबी बंद की जाती है। 2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी याचिका में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी / निगराकार को तहसील धडसाना के चक 15 जी. डी. के मुरब्बा नं0 186/6 की 25 बीघा भूमि पौग बांध विस्थापित के रूप में राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाँधी नहर क्षेत्र में पौंग बांध विस्थापितो को राजकीय भूमि आंवटन) नियम 1972 के अन्तर्गत दिनांक 15–04–73 को आंवटित की गई थी। राजस्थान राज्य सरकार की ओर से माह दिसम्बर 1991 में पोंग बांध विस्थापितो को आंवटित भूमि के बारे सर्वे कराया गया जिस पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट 17–12–91 को आधार मानते हुए उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंह नगर द्वारा 04–07–92 को आंवटन इस आधार पर खारिज कर दिया कि आंवटी अपनी आंवटित भूमि पर काबिज नहीं है जबकि काबिज व्यक्ति सतीश कुमार द्वारा आवंटी द्वारा दिये गये मुख्तयारनामे की प्रति पेश की गई जिसमें इसे 1 वर्ष के लिए काश्त हेतु भूमि दिया जाना स्पष्ट बताया गया था। इसके पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका पौग बांध विस्थापित समिति एवं अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 26–07–96 के अनुसरण में विशिष्ट न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त आदेश का पुनरावलोकन किया गया। उक्त पुनरावलोकन के दौरान आवंटी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 08–08–98 को पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र खरिज कर दिया गया। आंवटी उपरोक्त दिनांकित आंवटन आदेश 15–04–73 से ही भूमि पर कब्जे काश्त में है एवं उक्त कब्जे काश्त के आधार पर ही आवंटी चूहडराम के पक्ष में दिनांक 21–01–99 को जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा चक 15 जी. डी. के खसरा नं0 186/6 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा की सनद जारी गई एवं खातेदारी का नामान्तरकरण दिनांक 25–06–99 को तहसीलदार धडसाना द्वारा स्वीकृत किया गया। तथा आंवटी चूहडराम की मृत्यु उपरान्त बतौर वारिसान निगराकार के पक्ष में दिनांक 09–08–99 को नामान्तरण संख्या 44 तस्दीक किया गया। विवादित आराजियात बरवक्त आंवटन से ही आवंटी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजियात रही है जिसे तहसीलदार धडसाना द्वारा अपने आदेश दिनांक 12–12–01 द्वारा आराजी का अंकन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	जरिये नामान्तरण रकबा राज किया है जो कि निगराकार को बिना सुने बिना साक्ष्य का अवसर प्रदान किये किया है। अतः उपरोक्त नामान्करण आदेश दिनांक 12–12–01 से व्यथित हो कर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय नियम एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजियात प्रार्थी/निगराकार के खातेदारी की आराजियात है जिस पर पूर्व में प्रार्थी के पिता द्वारा जिन्हे आंवटन दिया गया था उसके पश्चात प्रार्थी खातेदार की हैसियत से कब्जे काश्त में है। तहसीलदार घडसाना द्वारा प्रार्थी को बिना सुने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो की अवहेलना कर नामांतरकरण दिनांक 12–12–01 को स्वीकृत किया है जो कि राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिपादित निर्णय 1984 आर.आर.जे. 111 के अनुसार जिसमें निष्पादित किया है There are certain cardinal principles of law which must be followed in every trial. Thus one must not be condemned without being given a reasonble opportunity to meet the case against thim This cardinal principle which if not observed, leads to failure of justice. तहसीलदार ने समस्त कार्यवाहीं एकतरफा में की है तथा प्रार्थी को जवाब साक्ष्य, जिरह साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त मौका प्रदान नहीं किया गया, जिससे प्रार्थी को न्यायहितों से वंचित रहना पडेगा। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। 4. अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। 5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी ने तहसीलदार घडसाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–12–01 के विरूद्ध हस्तगत् निगरानी इस आधार पर पेश की है कि विवादित आराजी प्रार्थी के पिता के हक में जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर ने दिनांक 20–1–99 को कब्जे के आधार पर सनद जारी की थी एवं आवंटी के पक्ष में खातेदारी का नामांतरकरण दिनांक 25–6–99 को स्वीकृत किया गया था। तहसीलदार घडसाना ने आलोच्य आदेश दिनांक 12–12–01 से विशिष्ट न्यायाधीश पोंग बांध विस्थापित श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण सं. 1699/97 में पारित निर्णय दिनांक 8–9–98 की पालना में विवादित आराजी को जरिये नामांतरकरण रकबाराज दर्ज किया है। प्रार्थी को चाहिये था कि वह तहसीलदार के आलोच्य आदेश के बजाय विशिष्ट न्यायाधीश श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण सं. 1699/97 में पारित निर्णय दिनांक 8–9–98 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करते। ऐसी स्थिति में तहसीलदार घडसाना द्वारा विवादित आराजी को दिनांक 12–12–01 से रकबाराज दर्ज करने में तथ्य या विधि संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अतः निगरानी खारिज योग्य है।	

6— परिणामतः हस्तगत् निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य